

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक A/5508 / चार-12-5 / 23(Pt-II)

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक 23 / 12 / 2025

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 295/गोपनीय/2025 जबलपुर, दिनांक 09.02.2025 द्वारा श्रीमती सीता कनौजे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में (प्रवेश स्तर) प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नागौद (सतना) के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप उच्चतर न्यायिक सेवा के एंट्री वेतनमान रुपये 144840-194660 /-(लेवल जे-5) में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

वेतनमान रू0 111000-163030 (लेवल-जे-3) में प्राप्त वेतन/दिनांक एवं यूनिफ कोड नंबर	उच्च न्यायिक सेवा के एंट्री वेतनमान रुपये 144840-194660 (लेवल-जे-5) में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, पदनाम एवं पदोन्नति का स्थान	एंट्री वेतनमान रू0 144840-194660 (लेवल-जे-5) में निर्धारित वेतन	देय दिनोंक	आगामी वेतनवृद्धि का दिनोंक
1	2	3	4	5
<u>136520/-</u> 26.05.2024 (यूनिफ कोड नंबर 225012935)	17.02.2025 (दोपहर पूर्व) प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नागौद(सतना)	144,840/-	17.02.2025	स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(रविशंकर डेकाटे)

ओ0एस0डी0(लेखा)

क्रमांक A/5509 / चार-12-5 / 23(Pt-II)

जबलपुर, दिनांक 23 / 12 / 2025

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना/देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(पेंशन) एवं सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. रीडर टू रजिस्ट्रार(एम)/ओ0एस0डी(लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्रीमती सीता कनौजे, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खातेगांव(देवास) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


ओ0एस0डी0(लेखा)